सं.14013/07/2010-रा.भा.(नीति-I)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

(राजभाषा विभाग)

एन.डी.सी.सी.-II बिल्डिंग,'बी' विंग,चौथा तल,
जयसिंह रोड, नई दिल्ली, दिनांक 28 अप्रैल, 2017

0 4 MAY 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- हिंदी को शासकीय प्रयोजन के लिए प्रथम भाषा के रूप में प्रयोग करने वाले राज्यों में बोर्डों, साइन बोर्डों , नाम पट्टों और दिशा-संकेतकों पर हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त उन भाषाओं का प्रयोग, जिन्हें इन राज्य सरकारों द्वारा शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग हेतु प्राधिकृत किया गया है।

कृपया उपरोक्त विषय पर राजभाषा विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या 14013-07-2010-रा.भा.(नीति-I) दिनांक 07.04.2011 का अवलोकन करें।

2. राजभाषा विभाग ने भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों के दृष्टिगत दिनांक 07.04.2011 को कार्यालय ज्ञापन जारी किए थे। संबंधित कार्यालय ज्ञापन की प्रतिलिपि सूचना एवं उचित कार्रवाई हेतु संलग्न है।

स्टेला

(स्टेला खाखा)
अवर सचिव(नीति)

के.सी. सामरिया
प्रभारी आयुक्त
आयुक्त भाषाजात अल्पसंख्यक(मुख्यालय)
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय,
11 जाम नगर हाउस, शाहजहां रोड,
नई दिल्ली-110001

प्रतिलिपि:-

1. (क) भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिवों को -इन अनुरोध के साथ कि वे इन अनुदेशों की एक प्रति अपने सभी अधीनस्थ/संबद्ध कर्यालयों, अपने मंत्रालयों के नियंत्राणाधीन स्वायत्त निकायों, उपक्रमों तथा पर्याप्त लोक-संपर्क रखने वाले संगठनों यथा रेलवे, भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण, महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड आदि में तुरंत अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए परिचालित करें।

(ख) सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग (वित्त मंत्रालय) को इन अनुरोध के साथ कि वे इन अनुदेशों को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, बीमा कम्पनियों तथा उक्त राज्यों में वित्तीय सेवाएं देने वाले अन्य संगठनों के अध्यक्षों/कार्यालय प्रमुखों को तत्काल परिचालित करवायें।

2. क्षेत्र 'क' के सभी राज्यों यथा बिहार, छत्तीसगढ़ हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के सचिवों(राजभाषा) तथा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिवों को।

3. अध्यक्ष, (उक्त राज्यों में स्थित) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां।

4. रेलवे मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), नई दिल्ली को रेलवे स्टेशनों पर नाम-पट्टों, साइन-बोर्डों पर प्रयोग होने वाली भाषा/भाषाओं से संबंधित उनके दिनांक 08.11.2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या हिंदी 2010/रा.भा.1/8/5 तथा उसके बाद के पत्राचार के संदर्भ में।

5. श्री ओंकार केडिया, एडीजी, मीडिया एवं कम्यूनिकेशन, गृह मंत्रालय

6. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र को इन निदेश के साथ कि उक्त निदेशों को राजभाषा विभाग की वेब-साइट पर 'नया क्या है' तथा 'महत्वपूर्ण सूचनाएं' शीर्षकों के अंतर्गत अप-लोड करवायें।

प्रति सूचनार्थ तथा इस निर्देश के साथ कि इस सूचना का विस्तारण नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के माध्यम से एवं अन्य प्रचार माध्यमों से कराया जाएं:-

1. सर्वकार्यभारी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय(08),
2. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, 7वों तल, पर्यावरण भवन, बी-ब्लॉक, सीजीओ काम्पलेक्स, नई दिल्ली।
3. निदेशक, केंद्रीय, अनुवाद ब्यूरो, 8वां तल, पर्यावरण भवन, बी-ब्लॉक सीजीओ काम्पलेक्स, नई दिल्ली।

क्र-ई-6(जी) 24

जारी किया
ISSUED
13 APR 2011
हस्ताक्षर/Intls. ....
प्रा० तथा प्रे०/R&I/LNB

संख्या I/14013/07/2010-रा.भा.(नीति-1)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

***

लोकनायक भवन, खान मार्किट,

नई दिल्ली, दिनांक : 07 अप्रैल, 2011

13 APR 2011

कार्यालय ज्ञापन

विषयः-हिंदी को शासकीय प्रयोजन के लिए प्रथम भाषा के रूप में प्रयोग करने वाले राज्यों में बोर्डों, साइन बोर्डों, नाम पट्टों और दिशा-संकेतकों पर हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त उन भाषाओं का प्रयोग, जिन्हें इन राज्य सरकारों द्वारा शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग हेतु प्राधिकृत किया गया है ।

हिंदी भाषी राज्यों अर्थात् 'क' क्षेत्र में स्थित राज्यों (जिन राज्यों की राजभाषा हिंदी है) में बोर्डों, साइन बोर्डों, नाम पट्टों और दिशा-संकेतकों पर हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त उन भाषाओं, जो कि शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग हेतु प्राधिकृत है, के प्रयोग संबंधी प्रकरण पर सभी प्रासंगिक पहलुओं को ध्यान में रखकर गंभीरता से विचार किया गया है ।

2. इन राज्यों में रहने वाली आम जनता की सुविधा, और समाज के विशाल वर्गों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि केन्द्र सरकार के सभी कार्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक तथा उपक्रम बोर्डों, साइन बोर्डों, नाम पट्टों और दिशा-संकेतकों पर, हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त, उन भाषाओं, जो राज्य सरकारों द्वारा शासकीय प्रयोजनों के प्रयोग हेतु प्राधिकृत की गयी हैं, में सूचना/सामग्री लिखेंगे/मुद्रित करेंगे/पेंट करेंगे/उत्कीर्ण करेंगे/उकेरेंगे। सभी भाषाओं के शब्दों का आकार समान होगा ।

3. बोर्ड, साइन बोर्ड, नाम पट्ट और दिशा-संकेतक सर्वप्रथम हिंदी में लिखे/उकेरे जाएंगे अथवा मुद्रित/पेंट/उत्कीर्ण किए जायेंगे । राज्यों की राजभाषाओं, तथा अंग्रेजी भाषा का क्रम संबंधित विभाग या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा ।

4. हिंदीतर भाषी राज्यों अर्थात् 'ख' और 'ग' क्षेत्रों में स्थित राज्यों में बोर्डों, साइन बोर्डों, नाम पट्टों और दिशा-संकेतकों के लिए दिनांक 18.06.1977 के कार्यालय ज्ञापन संख्या I/14013/5/76-रा.भा.(क-1) में निहित निर्देश, जिनके अनुसार क्षेत्रीय भाषा, हिंदी तथा अंग्रेजी, इसी क्रम में प्रयोग की जानी है, यथावत् रहेंगे ।

5. ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे ।

राकेश कुमार

(राकेश कुमार)

निदेशक (तकनीकी/नीति)

1. (क) भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिवों को – इस अनुरोध के साथ कि वे इन अनुदेशों की एक प्रति अपने सभी अधीनस्थ/संबंद्ध कार्यालयों, अपने मंत्रालयों के नियंत्राणाधीन स्वायत्त निकायों, उपक्रमों तथा पर्याप्त लोक-संपर्क रखने वाले संगठनों यथा रेलवे, भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण, महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड़ आदि में तुरंत अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए परिचालित करें ।

(ख) सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग (वित्त मंत्रालय) को इस अनुरोध के साथ कि वे इन अनुदेशों को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, बीमा कम्पनियों तथा उक्त राज्यों में वित्तीय सेवाएं देने वाले अन्य संगठनों के अध्यक्षों/कार्यालय प्रमुखों को तत्काल परिचालित करवायें ।

2. क्षेत्र 'क' के सभी राज्यों यथा बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश व उत्तरांखड़ के सचिवों (राजभाषा) तथा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिवों को ।
3. अध्यक्ष, (उक्त राज्यों में स्थित) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां ।
4. रेलवे मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), नई दिल्ली को रेलवे स्टेशनों पर नाम-पट्टों, साइन-बोर्डों पर प्रयोग होने वाली भाषा/भाषाओं से संबंधित उनके दिनांक 08.11.2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या हिंदी 2010/रा.भा.1/8/5 तथा उसके बाद के पत्राचार के संदर्भ में ।
5. श्री ओंकार केडिया, एडीजी, मीडिया एवं कम्यूनिकेशन, गृह मंत्रालय
6. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र को इस निदेश के साथ कि उक्त निदेशों को राजभाषा विभाग की वेब-साइट पर 'नया क्या है' तथा 'महत्वपूर्ण सूचनाएं' शीर्षकों के अंतर्गत अप-लोड करवायें ।

प्रति सूचनार्थ तथा इस निर्देश के साथ कि इस सूचना का विस्तारण नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के माध्यम से एवं अन्य प्रचार माध्यमों से कराया जाये:-

1. सर्वकार्यभारी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (08),
2. निदेशक, केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, 7वां तल, पर्यावरण भवन, बी-ब्लॉक, सीजीओ काम्पलेक्स, नई दिल्ली ।
3. निदेशक, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, 8वां तल, पर्यावरण भवन, बी-ब्लॉक, सीजीओ काम्पलेक्स, नई दिल्ली ।

No. I/14013/07/2010-O.L.(Policy-1)
Government of India
Ministry of Home Affairs
Department of Official Language
***

Lok Nayak Bhavan, Khan Market
New Delhi , Dated 07 April, 2011

OFFICE MEMORANDUM

Subject : **Use of languages, other than Hindi and English, recognized for use for official purposes by the State Governments having Hindi as their first Official Language, on Boards, Sign-boards, Name-plates, and Directional Signs.**

The matter of use of languages, other than Hindi and English, recognized for use for official purposes, in the Hindi-speaking States i.e. States located in Region A (these States have Hindi as their Official Language) on Boards, Sign-boards, Name-plates and Directional Signs has received careful consideration, keeping all relevant aspects in view.

2. Taking into consideration the public convenience and welfare of the large sections of our society living in the said States, it has been decided that all Central Government Offices, and Public Sector Banks and Undertakings shall write, print, paint, inscribe or emboss the information on Boards, Sign-boards, Name-plates and Directional Signs in language/s, other than Hindi, recognized for use for official purposes in the given State/s, in addition to Hindi and English. The font sizes of the texts of all the languages will be of the same size.

3. The Boards, Sign-boards, Name-plates and Directional Signs will be written/ printed/ painted/inscribed/embossed in Hindi first. The order of the other language/s, including English, will be determined by the Department concerned or the State concerned.

4. As for the use of languages on Boards, Sign-boards, Name-plates and Directional Signs in the non-Hindi speaking States i.e. States located in Regions B and C, the instructions contained in the OM No. I/14013/5/76-OL(A1) dated 18.6.1977 which require the use of Regional Language, Hindi and English, in that order, on the stated media, will continue to hold good.

5. These orders come into force with immediate effect.

Rakesh Kumar
(Rakesh Kumar)
Director (Technical & Policy)

1. (a) Secretaries of all Departments and Ministries, Government of India with the request that a copy of these instructions be circulated to all Subordinate/Attached offices, and autonomous undertakings under the control of their Departments, and

that immediate compliance by organizations having significant public interface e.g. Railways, Airport Authority of India, MTNL and BSNL etc. be particularly ensured.

(b) Secretary, Financial Services with the request to circulate these instructions immediately to all Chairpersons of Public Sector Banks, Insurance Companies and other organizations rendering financial services in the said States.

2. All Secretaries (Official Languages) of the States in Region 'A' i.e. Bihar, Chhattisgarh, Haryana, Himachal Pradesh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh, and Uttarakhand, UT Administration of Andaman & Nicobar Islands, and Government of NCT of Delhi.

3. Chairmen of all Town Official Language Implementation Committees (TOLICs) in the above-referred to States.

4. Ministry of Railways (Railway Board), New Delhi with reference to their OM No. हिन्दी 2010/रा.भा.1/8/5 dated 8.11.2010 and subsequent communications in respect of language/s to be used on the Name-plates, Sign-boards on Railway Stations.

5. Shri Onkar Kedia, ADG, Media & Communication, Ministry of Home Affairs

6. Senior Technical Director (KK), NIC with the direction to upload it on web-site both under 'What's New' and Important Orders.

Copy, for information, and direction to disseminate this information through TOLICs, and other publicity means :

(i) O/c incharges, Regional Implementation Offices,
(ii) Director, Central Hindi Teaching Institute, 7th Floor, Paryavaran Bhavan, B Block, CGO Complex, New Delhi
(iii) Director, Central Translation Bureau, 8th Floor, Paryavaran Bhavan, B Block, CGO Complex, New Delhi